JALAUN POLICE

दिनांक – 20.11.2026

कोतवाली कालपी पुलिस द्वारा हर्ष फायरिंग करने वाले अभियुक्त धर्मेन्द्र को लाईसेंसी शस्त्र डबल बैरल 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अवगत कराना है कि कोतवाली कालपी क्षेत्रान्तर्गत हर्ष फायरिंग का वीडियो का प्रकरण संज्ञान में आया था जिसकी कोतवाली कालपी पुलिस द्वारा जांच की गयी तो पाया गया है कि दिनाक 17/11/26 की रात्रि के समय बुंदेलखण्ड गार्डेन कालपी के शादी समारोह में धर्मेंद्र सिंह पुत्र लतीराम निवासी कुदरकोट थाना कुदरकोट जनपद औरैया द्वारा अपने लाईसेन्सी असलहा से हर्ष फायरिंग की गयी थी जो लाइसेंसी शस्त्र के शर्तों का उल्लंघन है जिसके संबन्ध में कोतवाली कालपी पर मु0अ0सं0 261/26 धारा 30 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, झांसी परिक्षेत्र, झांसी श्री आकाश कुलहरि के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन श्री सुरेश चन्द्र रावत के पर्यवेक्षण तथा अपर पुलिस अधीक्षक जालौन डॉ0 ईशान सोनी के नेतृत्व में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत कोतवाली कालपी पुलिस द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह पुत्र लतीराम निवासी ग्राम कुदरकोट थाना कुदरकोट जनपद औरैया उम्र करीब 55 वर्ष को एक अदद लाईसेंसी शस्त्र डबल बैरेल 12 बोर गन के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

1- धर्मेन्द्र सिंह पुत्र लतीराम निवासी ग्राम कुदरकोट थाना कुदरकोट जनपद औरैया उम्र करीब 55 वर्ष

बरामदगी विवरण

एक अदद लाईसेंसी शस्त्र डबल बैरेल 12 बोर गन।